
	<p>मुख्य आयुक्त का कार्यालय Office of the Chief Commissioner केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और के. उ. शु. लखनऊ परिक्षेत्र Central GST & Cen. Excise, Lucknow Zone ७-अ, अशोक मार्ग, लखनऊ 7-A, Ashok Marg, Lucknow E-mail: ccu-cexlko@nic.in_Ph./FAX: 0522-2233-052 / 124</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

सेवा में,

महानिदेशक
करदाता सेवा महानिदेशालय,
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली – 110109

महोदय,

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन में वर्ष 2024-25 के लिए दिसम्बर - 2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक आख्या प्रस्तुत करने के संबंध में।

कृपया ऊपर दिए गए विषय का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में, कृपया इस कार्यालय की दिसम्बर-2024 को समाप्त तिमाही के लिए वांछित त्रैमासिक आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्त।

भवदीय,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त
सीसीओ, लखनऊ